117/2018

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (मुकाम) मारवाड़ जंक्शन

ओखाराम वगैरह पीव नेनाराम बनाम सरकार

किस्म मुकदमा - 75 ग्रि.क्रत 1956 नं. 117/2018 सन्

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए ।
15/6/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार - शिविर इन्दरावास में अपीलांट द्वारा अपील में पेश हुई। अपीलांट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 ग्रि.क्रत 1956 के तहत इस आशय की पेश कि अपीलांट के पिता नेनाराम के नाम सरहद मौजा खिंवाणा के ख.नं. 321, 324 की कृषि भूमि स्थित थी। स्व० नेनाराम का देहान्त होने पर विरासत के नामा० सं० 183 भरा गया, तब सवजन से रूगला जो कि नेनाराम का आपन्दा लड़का था को बतौर पिता दर्ज कर दिया गया, जो कि गलत है। नेनाराम के वारिसान ओखाराम, ओधाराम वगैरह पुत्र रतनाराम पी० नेनाराम है। इसलिए नाम० सं० 183 निरस्त करवाकर नये सिरे से नामान्तकरण किया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रे०पट० तह० मा० जं० का जवाब लिया गया। रे०पट० तह० मा०जं० ने भी अपीलांट के कथन की ताईद की है। इसलिए ना०क० सं० 183 यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है	LTI ओखाराम

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व अहकाम जा… का तामिल में ज…
	— : आदेश : — अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर म्यूटेशन मौजा सिवाणा के नामान्तरकरण सं. 183 अपास्त किया जाकर तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे नामांतरण के विधिक [illegible] की बाद [illegible] सभी पक्षकारान [illegible] की कार्यवाही कर पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार. मय [illegible] शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति पक्षकारान को दी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। SDM	